न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– श्री अमीलाल यादव, आर.ए.एस.

प्रार्थना–पत्र नं. – 34/22

आदेश दिनांक – 24-2-26

बाबुलाल पुत्र अर्जुनदास जाति स्वामी निवासी ग्राम कल्याणसर तहसील बीदासर जिला चूरू

प्रार्थी

बनाम

1. सोहनदास दत्तक पुत्र रामेश्वरदास जाति स्वामी निवासी कल्याणसर तहसील बीदासर जिला चूरू
2. अर्जुनदास पुत्र सोहनदास जाति स्वामी निवासी कल्याणसर तहसील बीदासर जिला चूरू
3. गोकुलदास पुत्र सोहनदास जाति स्वामी निवासी कल्याणसर तहसील बीदासर जिला चूरू
4. ओमदास पुत्र सोहनदास जाति स्वामी निवासी कल्याणसर तहसील बीदासर जिला चूरू
5. गोविन्ददास पुत्र सोहनदास जाति स्वामी निवासी कल्याणसर तहसील बीदासर जिला चूरू
6. रामनिवास पुत्र सोहनदास जाति स्वामी निवासी कल्याणसर तहसील बीदासर जिला चूरू
7. कुशालदास पुत्र सोहनदास जाति स्वामी निवासी कल्याणसर तहसील बीदासर जिला चूरू
8. लाली पुत्री सोहनदास जाति स्वामी निवासी कल्याणसर तहसील बीदासर जिला चूरू
9. मंजु पुत्री सोहनदास जाति स्वामी निवासी कल्याणसर तहसील बीदासर जिला चूरू
10. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बडौदा शाखा सुजानगढ जिला चूरू
11. उप पंजियक अधिकारी बीदासर जिला चूरू
12. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्ति अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व आदेश 39 नियम 1 वा 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

उपस्थित :– 1. मनोज गोदारा एडवोकेट– वकील प्रार्थी

2. अमरसिंह एडवोकेट – वकील अप्रार्थी संख्या 1

–: आदेश :–

प्रार्थना–पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि उपरोक्त उनवानी मूलवाद प्रार्थी द्वारा ठोस आधारों पर श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है जिसमें प्रार्थी को पूर्णतया सफलता मिलने की संभावना है। प्रार्थी एंव अप्रार्थी संख्या 1 एक ता 9 नौ का वंशवृक्ष प्रार्थना पत्र को भलीभांति समझने के लिए दर्शाया जा रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 एक प्रार्थी के दादा लगता है। प्रार्थी के दादा सोहनदास के खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग के खेत खसरा संख्या 358 तीन सौ अठावन तादादी 3.3893 तीन दशमलव तीन आठ नौ तीन हेक्टेयर, खसरा संख्या 360 तीन सौ साठ तादादी 3.1742 तीन दशमलव एक सात चार दौ हेक्टेयर, खसरा संख्या 361 तीन सौ इकसठ तादादी 1.4164 एक दशमलव चार एक छः चार हेक्टेयर कुल किता 3 तीन कुल रकबा 7.9799 सात दशमलव नौ सात नौ नौ हेक्टेयर भूमि वाके रोही ग्राम कल्याणसर तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है जिसे ''वादगत भूमि'' के नाम से पुकारा गया है। वादगत भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 एक ता 9 नौ की खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग की भूमि है। वादगत भूमि खेत प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 दौ ता 9 नौ की पैत्रिक व कोपार्सनरी सम्पति है। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के तहत पौत्र पौत्री का जन्म से ही दादा की सम्पति में हिस्सा कायम हो जाता है। इस कारण वादगत भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 दौ प्रत्येक का 1/54

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

बट्टा चौपन हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 01 एक व अप्रार्थी संख्या 3 तीन ता 9 नौ प्रत्येक का 1/9 एक बट्टा नौ हिस्सा नियत है। प्रार्थी वादगत खेतों में अपनी हिस्सा भूमि को काश्त करते आ रहा है एंव बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण था लेकिन पिछले एक साल से अप्रार्थी संख्या 01 एक के मन में बेइमानी आ गई वह प्रार्थी से झगडा करने लगा। इसलिए समाज के मुखीयान ने वादगत खेतों का प्रार्थी की हिस्सा भूमि का विभाजन कर अलग सीमा कायम कर दी। हर वर्ष की भांति इस वर्ष प्रार्थी ने अपनी हिस्सा भूमि काश्त कर ली लेकिन पुनः अप्रार्थी संख्या 01 एक की नियत खराब हो गई। अप्रार्थी संख्या 01 एक प्रार्थी को उनकी हिस्सा भूमि से वंचित करना चाहता है। अप्रार्थी संख्या 01 एक वादगत भूमि को विकय, हस्तातंरण, रहन, बैय, दान पत्र के जरीये खुर्द बुर्द करने पर लगा हुआ है। इस कारण प्रार्थी के लिए आवश्यक हो गया कि वोह अपने हिस्सा भूमि की घोषणा कराये। इस कारण घोषित किया जावे कि वादगत खेत प्रार्थी के पैत्रिक कोपार्सनरी सम्पति के है जिसमें प्रार्थी 1/54 हिस्सा का खातेदार कृषक है। इस कारण प्रार्थी वादगत भूमि में खातेदारी अधिकारों की घौषणा करवाकर राजस्व रेकार्ड में संशोधन करवाने का कानूनी अधिकारी है क्योंकि वादगत भूमि प्रार्थी के संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित कोपार्सनरी सम्पति की है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 01 एक से राजस्व रेकार्ड में संशोधन कराने के लिए एंव प्रार्थी की हिस्सा भूमि के कब्जा, काश्त, उपयोग, उपभोग में बाधायें उत्पन्न न करने के लिए दिनांक 5.3.2022 को निवेदन किया लेकिन वोह मानने से साफ इनकार हो गया। अप्रार्थी संख्या 01 प्रार्थी को ऐलानियां धमकियां दे रहा है कि उन्होनें वादगत खेतों को विकय करने की बात पक्की कर ली है व साई भी प्राप्त कर ली है। अब वो शीघ्र ही किसी अन्य के पक्ष में विकय पत्र निष्पादित करवाकर ही रहेगा। विकय पत्र निष्पादित ना होने की सुरत में वादगत भूमि को वसीयत, दानपत्र करके ही रहेगा। यही प्रार्थना–पत्र का कारण है। प्रार्थी को वादाधार वादगत खेत प्रार्थी के दादा के खातेदारी के होने से प्राप्त है। वादगत भूमि में वर्तमान में प्रार्थी का नाम खातेदारी में अंकित नहीं होने के कारण अप्रार्थी संख्या 01 एक के मन में बेईमानी आ गई है। अप्रार्थी संख्या 01 एक वादगत खेतों को विकय, हस्तान्तरण, रहन आदि कर देगा तो प्रार्थी के अधिकारों के विपरित असर पडेगा। प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 01 एक का बलपूर्वक मुकाबला करने में असमर्थ है इसलिए अप्रार्थीगण को न्यायालय से जरीये चिर निषैधाज्ञा की डिकी से वर्जित करवाया जाना आवश्यक हो गया है कि वोह प्रार्थी के संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित कोपार्सनरी सम्पति के खेतों को जब तक रेकार्ड संशोधन नहीं हो जाता तब तक वादगत खेतों के किसी भी हिस्से या अंश को विकय हस्तांतरण रहन आदि नहीं करें। इस दौषपूर्ण कृत्य से यदि अप्रार्थी संख्या 1 एक को नहीं रोका गया तो प्रार्थी को अपूर्तीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी सुरत में पूर्ण नहीं हो पायेगी। अप्रार्थीगण को वर्जित किया जावे की वोह प्रार्थी के कब्जे काश्त एंव हिस्सा की भूमि को काश्त करने से न रोके व ओर न ही उसको जबरन हिस्से पांति की भूमि से बेदखल करें ओर ना ही कोई ऐसा कार्य करें जिससे प्रार्थी के वैध अधिकारों के विपरित प्रभाव पडता है। प्रथम दृष्टया मामला एंव सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है तथा अपूर्तीय क्षति भी प्रार्थी को हो रही है। प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्ति की सुनवाई करने का श्रवणाधिकार एंव क्षेत्राधिकार श्रीमानजी के न्यायालय को प्राप्त है। प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्ति निर्धारित न्याय शुल्क पर अवधि भीतर प्रस्तुत है। आदि–आदि अंकित कर प्रार्थना–पत्र पेश किया है।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अमरसिंह एडवोकेट ने उपस्थित होकर अपना वकालतनामा व जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी संख्या 2 ता 11 जरीये

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चुरू)

पंजीकृत डाक से तामिल होने के बावजुद अनुपस्थित रहने पर उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अप्रार्थी संख्या 1 के जवाब के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बनावटी व निराधार होने के कारण खारिज योग्य है। तथा प्रार्थी को कभी भी इस प्रकरण में कोई सफलता नहीं मिलनी है। प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। प्रार्थी द्वारा पेश किया गया वंशवृक्ष मिथ्या होने के कारण स्वीकार नहीं ओर इनकार किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 1 के जीवनकाल में वंशवृक्ष नहीं बनाया जा सकता है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 के दत्तक पिता मृत है या जिन्दा है इस संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया है। वादगत भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी, कब्जा, काश्त, उपयोग, उपभोग की भूमि है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 9 व गौण अप्रार्थीगण संख्या 13 ता 16 का वादगत भूमि से कोई संबध व सरोकार नहीं है ओर न ही उक्त भूमि उनके मालिकाना, खातेदारी अधिकारों की है। वादगत भूमि अप्रार्थी संख्या 1 को अपने जीवनकाल में रामेश्वरदास पुत्र गंगाराम जाति स्वामी निवासी कल्याणसर से प्राप्त हुई है जो कानूनन अप्रार्थी संख्या 1 के दादा व परदादा की नहीं हो सकती ओर वादगत भूमि पैतृक व कॉपार्सनरी संपति नहीं है। इस कारण हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थी व गौण अप्रार्थीगण का हक हिस्सा वादगत भूमि में कानूनन नहीं हो सकता। प्रार्थी ने वादगत भूमि को मिथ्या रूप से अप्रार्थी संख्या 1 से हडपने के लिये वादगत भूमि को पैतृक व कॉपार्सनरी संपति बताने की निराधार कुचेष्ठा की हैं जबकि वादगत भूमि पैतृक व कॉपार्सनरी संपति नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा रामेश्वरदास की सेवा चाकरी, सुश्रुषा आदि करने के बदले में अप्रार्थी संख्या 1 को अपने जीवनकाल में प्राप्त हुई है। इस कारण वादगत भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 के जीवनकाल में प्रार्थी व गौण अप्रार्थीगण को किसी भी प्रकार से कोई हक हिस्सा प्राप्त नहीं हो सकता। प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 के संयुक्त परिवार का कभी भी सदस्य नहीं रहा है। ओर न ही वादगत भूमि प्रार्थी के कब्जा, काश्त में रही थी। अप्रार्थी संख्या 1 वृद्व व कैंसर से पीडित व्यक्ति है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 को तंग परेशान करने के लिये व खर्चे से जेरकार करने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। वादगत भूमि किसी भी सुरत में पैतृक व कॉपार्सनरी संपति नहीं है। वादगत भूमि अप्रार्थी संख्या 1 की स्वअर्जित भूमि है। अप्रार्थी संख्या 1 के जीवनकाल में प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 2 के साथ संयुक्त रूप से कानूनी दृष्टि से किसी भी प्रकार के हक हिस्सा की घोषणा करवाने का अधिकारी नहीं है। ओर न ही प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 2 के साथ संयुक्त रूप से भूमि का खातेदार है। वादगत भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित कॉपार्सनरी भूमि संपति नहीं है। इस कारण प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 के जीवनकाल में किसी भी हक हिस्सा की घोषणा करवाने का अधिकारी नहीं हैं प्रार्थी से सम्पूर्ण तथ्य आधारहीन होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। प्रार्थी को दावा में वाद हैतुक नहीं है ओर न ही वादाधार प्राप्त है। प्रार्थी वादगत भूमि के संबंध में अप्रार्थीगण के विरूद्व स्वामित्व व कब्जे के अभाव में चिर निषेधाज्ञा की डिक्री कानूनन प्राप्त नहीं कर सकता। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया केस साबित नहीं है। प्रार्थी को किसी भी प्रकार की अपूर्तिय क्षति नहीं हो रही है। प्रार्थी का न तो प्रथम दृष्टया सारवान प्रार्थना पत्र हे ओर न ही प्रार्थी के पक्ष में केस साबित है। इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी का कथन है कि वादगत भूमि प्रार्थी की पुस्तेनी भूमि है जिसके संबंध में जमाबंदी संवत 2028 से 2047 पेश की है जिसमें वादगत भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के पिता रामेश्वर वल्द गंगादास कौम स्वामी दर्ज है। इससे प्रमाणित होता है कि वादगत भूमि प्रार्थी की पुस्तेनी भूमि है। ओर वादगत भूमि पुस्तेनी होने के कारण हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुसार पौत्र व पौत्री का जन्म लेते ही हक हिस्सा

उपखण्ड अधिकारी
सीकर (राज.)

कायम हो जाता हैं। इस कारण वादगत भूमि प्रार्थी की पुस्तेनी भूमि होने के कारण हक हिस्सा बनता है। जिसकी घौषणा करवाने का प्रार्थी कानूनन अधिकारी है।

वकील अप्रार्थी संख्या 1 का कथन है कि वादगत भूमि प्रार्थी की पुस्तेनी भूमि नहीं है। वादगत भूमि अप्रार्थी संख्या 1 की स्वअर्जित भूमि है तथा वादगत भूमि अप्रार्थी संख्या 1 को रामेश्वरदास की सेवा, चाकरी करने से उनको मिली है। वादगत भूमि में प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 1 के जीवनकाल में किसी प्रकार का हक हिस्सा नहीं बनता है। ओर ना ही प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 के संयुक्त परिवार का सदस्य रहा हैं ओर ना ही वादगत भूमि पर प्रार्थी का कभी किसी प्रकार से कब्जा, काश्त रहा है। प्रार्थी वादगत भूमि में किसी प्रकार की घौषणा करवाने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी के सम्पूर्ण तथ्य आधारहीन है। प्रार्थी को वादाधार व वाद हैतुक नहीं है। इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्व किसी प्रकार से चिर निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया केस साबित नहीं है। इस कारण प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को खारिज किया जावे।

उभय पक्षकारन की बहस पर मनन किया एंव पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का कथन है कि वादगत भूमि पुस्तेनी व कॉपार्सनरी संपति है तथा वादगत भूमि पुस्तेनी व कॉपार्सनरी संपति होने के कारण हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुसार प्रार्थी का हक हिस्सा कायम हो गया है। भूमि पुस्तेनी होने के संबंध में प्रार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में जमाबंदी पेश की है। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 का कहना कि वादगत भूमि अप्रार्थी संख्या 1 की स्वअर्जित भूमि है। लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 ने भूमि स्वअर्जित होने के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये है। प्रार्थी ने वादगत भूमि पुस्तेनी होने का सबुत पेश किया है। इस कारण प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया केस साबित होता है। सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। यदि वादगत भूमि को विक्रय, हस्तांतरण से नहीं रोका गया तो अपूर्तिय क्षति भी प्रार्थी को होगी। इस प्रकार प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन, अपूर्तिय क्षति प्रार्थी के पक्ष में है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति का स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण को जरीये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है किं वो मूल वाद के निस्तारण तक वादगत भूमि के मौका व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। आदेश आज दिनांक.......24/2/26.......को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीदासर जिला-चूरू

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)